UPPG010044982026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2,प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP 6467
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1796/2026

लालजी उम्र करीब 45 वर्ष, पुत्र श्रीराम,
निवासी ग्राम– तौकलपुर, थाना– देल्हूपुर, जिला– प्रतापगढ़।
...........आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या :1017/2022
धारा– 379, 411 भा0 दं0 सं0
थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़

दिनांक–01.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **लालजी** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1017/2022, धारा– 379, 411 भा0 दं0 सं0, थाना–कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे असत्य एवं फर्जी कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। तथाकथित बरामदगी बिल्कुल झूठी व फर्जी है। प्रार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी नही हुयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 09 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। प्रार्थी बैट्री रिक्शा चलाता है पुलिस वालों द्वारा उसे रोककर नफा नाजायज की मांग पूरी न होने पर उससे फर्जी बरामदगी दिखाकल जेल भेज दिया गया है। आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अनुपस्थिति में निरस्त हुआ है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।
2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोगी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रार्थी दिनांक 21.11.22 को समय लगभग 7.00 बजे सुबह मजदूरी करने सुभाष सोनी सुत अंसार निवासी पल्टन बाजार, थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़, अपनी मोटर साइकिल स्पेल्डर. प्लस वाहन संख्या UP72BC 3668 से आया था। अपनी मोटर साइकिल उक्त सुभाष सोनी के घर के बाहर खड़ी कर छत की जाल बांधने लगा। लगभग 2.30 बजे दिन जब जाल बांधकर वापस आया तो देखा तो वाहन अपने स्थान पर नही था, काफी खोजा परन्तु कुछ पता नहीं चला।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.01 16:59:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होना नही बताया गया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 11.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। विचारण में समय लग सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त **लालजी** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या– 1017/2022, धारा– 379, 411 भा0 दं0 सं0, थाना–कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि–

1. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त अनावश्यक रूप से दौरान विचारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगा।
5. यदि अभियुक्त अपना वर्तमान पता बदलता है तो अपने नवीन पता के संबंध में संबंधित थाना/न्यायालय को सूचित करेगा।
6. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेंगी न तो धमकायेगा ।
7. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगी, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक :01.07.2026
अभयराज/– स्टेनो

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
JO Code–UP 6467